

Order Sheet (Subsequent)

2023/184
 सहायक कलेक्टर एवं कायपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) CNR NUMBER

गोधपुर
 Number of Case A/75 / Year 2023

U/S - 212 Versus RPA - 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of case of the Order
	<p>सादर जारी हेतु अपत्र-पत्र पत्र पेश करे। पत्रावली दिनांक 20/6/24 को पेश हो। गत स्वगन आदेशी आगामी पेशी तक अर्गो बढाया जाता है। वास्तविक अपत्र-पत्र हेतु पत्रावली दिनांक 20/6/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Principal</i></p>	
20/6/24	<p>पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपर वास्तविक बढस न. I अपत्र पर करे हेतु पत्रावली दिनांक 21/6/2024 को पेश हो। स्वगन आदेश आगामी पेशी तक अर्गो बढाया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"><i>Principal</i></p>	
21/06/24	<p>पत्रावली पेश। अर्चि प्रार्थी उपर। बढस सुनी गई। वास्तविक आदेश पत्रावली दिनांक 21/07/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Principal</i></p>	
24/07/24	<p>पत्रावली पेश। मजीद बढस सुनी गई। मुताबिक बढस अर्चि प्रार्थी - ग्राम बासनी सेफा, ख. सं. 337, 339, 340 (04-19 बीघा) भूमि को प्रार्थीगण द्वारा</p>	

20/6/24
 जयवंत लुधक
 20/06/24

जयवंत लुधक
 20/06/24

Principal
 सहायक कलेक्टर एवं कायपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) गोधपुर
 पत्रावली पेश करे।
 पत्रावली में आज बनें अर्गो बढस सुनी होने के कारण हलवा होकर पत्रावली का अर्जिगण दिनांक 24/7/24 को पेश हो।

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

2023/184

सहायक कमिश्नर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)

CNR NUMBER

at

Kind of the Case U/S - 212 RTA-1955

Number of Case A/75 / Year 2023

छायाचल व ठाण Versus अ. लु. ना. व ठाण

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
------	------------------------------------------	---------------------------------------

अरिष्ट req. ब्यनामा खरीद किया गया।
 प्रार्थीगण का नाम revenue record में
 भी दर्ज है उक्त खसरो का कुल रकबा
 09-18 बीघा है, जो प्रार्थीगण एवं अग्रार्थी
 सं. 01 ता 05 के 1/2-1/2 हि. में है अग्रार्थी
 प्रार्थीगण को बैदखल करने पर उतार है
 अतः मौका एवं record की यथास्थिति
 हेतु पाबंद किया जावे।"

बटस के अनुसार प्रा. पत्र का निस्तारण
 निम्नानुसार किया जाता है- प्रार्थीगण
 recorded खातेदार हैं, अतः प्रथम दृष्टया
 मामला प्रार्थीगण के पत्र में आवित
 होता है। मौके पर निर्माण या विशिष्ट
 नू-भाग बेचान करने पर प्रार्थीगण
 को अपूरणीय सति होगी। अतः ताकेंसला
 मूलवाद अग्रार्थी सं. 01 ता 05 को पाबंद
 किया जाता है कि वे मौके पर कच्चा।
 पक्का निर्माण कार्य ना करें एवं बिना
 विधिक विमोजन विशेष नू-भाग दर्शा
 कर बेचान ना करें। आदेश पढ़कर
 सुनाया गया। पत्रावली फेंसल- शुमार
 होकर दारिखल- दफतर हो।

Prin...
 सहायक कमिश्नर
 (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

